

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व उडीमवा

भू अभिलेख निरीक्षक श्रीमती लक्ष्मीदेवी करेड़ा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशांभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पटवार हल्का उडीमवा तहसील करेड़ा में खाता संख्या 138, 506

व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>उडीमवा</u>	<u>138, 506</u>	<p>भा.नं. <u>892/1 893/1</u>                      रकबा <u>0.1265, 0.0032</u>  <u>894 896</u>  <u>0.0506 0.1138</u></p> <p>भा.नं. <u>895 896/1</u>  <u>0.0759 0.2909</u></p>	<p><u>डालू पुत्र गंगाराम रेगर</u>  <u>सोहन पुत्र गंगाराम रेगर</u>  <u>को सहकारितार घोषित</u>                      किया जाता है।</p>

उपखण्ड अधिकारी  
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 दिनांक:- 21/10/2021

क्रमांक/न्यायालय /2021/08

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री डालू, सोहन पिता गंगाराम रेगर नि. उडीमवा

उपखण्ड अधिकारी  
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
 करेड़ा